प्रकरण संख्या 12/2024 अनवान शिशपाल सिंह बनाम राजस्थान सरकार अ०धा० 88 आरटीएक्ट निर्णय दिनांक 25.11.2024

र व ता
हुक्म क
किये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़
पीठासीन अधिकारी - श्रीमती शकुंतला आर.ए.एस.

अनवान -
शिशपाल सिंह पुत्र श्री करणीसिंह जाति राजपूत निवासी गॉव पक्का भादवा तहसील एवं जिला हनुमानगढ़।

...........वादी.............

बनाम-
राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर जिला राजस्थान सरकार अनूपगढ

..............प्रतिवादी.........

उपस्थिति- 01. श्री नवीन कुमार मिढ़ढ़ा, वकील प्रार्थीगण
02. पैराकार राज, तहसीलदार श्री विजयनगर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955)

राजस्व प्रकरण संख्या - 12/2024 निर्णय दिनांक -25.11.2024
(जी.सी.एम.एस.-2024/167)

::-निर्णय ::-

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि -
चक-13 ए.एस तहसील श्रीविजयनगर का मुरब्वां न-84 पत्थर सं-202/476 का किला नं-1, 2, 8, 13, 14, 16, 17, 18, 23, 24, 25 मे कुल 2.7830 हैक्टर अनकमाण्ड गैर खातेदारी कृषि भूमि वादी के पिता करणीसिंह पुत्र लिछमणसिंह नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। जिसमे वादी के पिता का नाम करनैलसिंह पुत्र लिक्षमणसिंह जाति राजपूत निवासी पक्का सारणा दर्ज है। वादी के पिता करणीसिंह पुत्र लिछमणसिंह का देहांत हो चुका है। उपरोक्त कृषि भूमि वादी के पिता करणीसिंह पुत्र लिछमणसिंह के नाम से आवंटन अधिकारी एवं उपायुक्त उपनिवेशन राजस्थान नहर योजना मुकाम सूरतगढ द्वारा दिनांक 30-1-1976 मे आंवटन हुई थी। वादी के पिता द्वारा आवंटन के लिए आवेदन करते समय आवेदन पत्र मे अपना नाम करणीसिंह पुत्र लिछमणसिंह जाति राजपूत निवासी गांव पक्का भादंवा दर्ज किया था। जिस पर आवंटन अधिकारी द्वारा भी उक्त रकबा वादी के पिता को आवंटन करते हुऐ आवंटन आदेश दिनांक 30-1-1976 मे वादी के पिता का सही नाम पता करणीसिंह पुत्र लिछमणसिंह जाति राजपूत निवासी गांव पक्का भादंवा दर्ज किया गया था। लेकिन राजस्व रिकार्ड जमाबंदी गिरदावरी सम्मत 2033 से 2034 बनाते समय लिपिकीय भुलवंश सहवन से वादी के पिता का नाम करनैलसिंह पुत्र लिछमणसिंह जाति राजपूत निवासी गांव पक्का सारणा दर्ज हो गया जो एक सद्भाविक एवं मानवीय भुल है। वादी व वादी का परिवार ग्रामीण परिवेश का है। वादी के पिता का सही नाम, पता करणीसिंह पुत्र लिछमणसिंह जाति राजपूत निवासी गांव पक्का भादंवा तथा ... का आधार कार्ड, बैंक पास बुक, राशन कार्ड आदि जिनमें ... पिता का सही नाम, पता दर्ज है। वादी जो कि ग्रामीण परिवेश का है वादी को पूर्व मे उक्त त्रुटि का कतई ज्ञान नही था। अब वादी के पिता के देहांत के बाद वादी उक्त कृषि भूमि का इंतकाल दर्ज करवाने के संबंध मे अरसा 3 दिन पूर्व पटवारी हल्का से पटवारी हल्का ने रिकार्ड देख कर बताया कि वादी के पिता का सही नाम, पता राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.12.11 10:42:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

रिकार्ड मे दर्ज नही है बल्कि वादी के पिता का नाम पता राजस्व रिकार्ड मे करनैलसिंह पुत्र लिछमणसिंह जाति राजपूत निवासी गांव पक्का सारणा दर्ज है। जिस पर वादी ने पटवारी हल्का को बताया कि उसके पिता का सही नाम, पता करणीसिंह पुत्र लिछमणसिंह जाति राजपूत निवासी गांव पक्का भादंवा है तो पटवारी हल्का द्वारा उक्त त्रुटि को दुरूस्त करवाने के लिए अदालत मे चाराजोही करने के लिए कहा। जिस पर वादी तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर के समक्ष उपस्थित हुआ तो उन्होने कहा कि सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे। बस यही विनाय दावा विनाय मुखास्मत है। वादी को भविष्य मे उक्त कृषि भूमि के संबंध मे काफी दिक्कत व परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए भी न्यायहित में राजस्व रिकार्ड मे सहवन से गलत दर्ज हुए अपने पिता के नाम, पता को दुरूस्त किया जाकर सही नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है ताकि भविष्य मे वादी को किसी प्रकार की परेशानीयो का सामना ना करना पड़े और वादी उक्त कृषि भूमि का उपयोग उपभोग कर सके। इसलिए वादी को माननीय न्यायालय से घोषणा करवाने का विधिक अधिकारी एवं दावेदार है।

वादी का वाद पत्र स्वीकार कर निम्न प्रकार से निर्णित व डिक्री फरमाया जावे-कि इस अमर की घोषणात्मक डिक्री पारित की जावे कि राजस्व रिकार्ड जमावंदी मे दर्ज कृषि भूमि वाके चक-13 ए.एस तहसील श्रीविजयनगर का मुरब्वां न-84 पत्थर सं-202/476 का किला नं-1, 2, 8, 13, 14, 16, 17, 18, 23, 24, 25 मे कुल 2. 7830 हैक्टर अनकमाण्ड गैर खातेदारी कृषि भूमि जो वादी के पिता का नाम करनैलसिंह पुत्र लिछमणसिंह जाति राजपूत निवासी गांव पक्का सारणा के नाम से दर्ज है, के स्थान पर इस कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड मे वादी के पिता का नाम करणीसिंह पुत्र लिछमणसिंह जाति राजपूत निवासी गांव पक्का भादंवा के नाम की घोषणात्मक डिक्री जारी की जाकर प्रतिवादी को वादी के पिता का नाम, पता करणीसिंह पुत्र लिछमणसिंह जाति राजपूत निवासी गांव पक्का भादंवा दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर द्वारा जवाव दावा प्रस्तुत कर कथन किया कि वाके 13 एएस तहसील श्रीविजयनगर का प0न0 202/476 का 2.783 हैक्टर रकबा करनैल सिंह पुत्र श्री लिछमण सिंह जाति राजपूत निवासी पक्का सारणा गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। मौका पर कब्जा काश्त वादीगण का है। राजस्व रिकार्ड में प्रारम्भ से आदिनांक तक करनैलसिंह नाम दर्ज चला आ रहा है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो को मध्यनजर रखते हुए चक-13 ए.एस तहसील श्रीविजयनगर के मुरब्वां न-84 पत्थर सं-202/476 के कुल 2.7830 हैक्टर अनकमाण्ड गैर खातेदारी कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में करणीसिंह पुत्र लिछमणसिंह जाति राजपूत निवासी पक्का भादवा दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आदिनांक 25.11.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.12.11 10:42:23 IST
Reason: SelfAttested

शंकुतला
उपखण्ड अधिकारी,
श्रीविजयनगर

Scanned with CamScanner